भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270523

श्री गजानन जय गजानन

–: विक्रय अनुबंध लेख :–

(कब्जा रहित)

यह कब्जा रहित विक्रय अनुबंध लेख आज दिनांक को लिख देने वाले :–

1. श्री सुनील माधव गोखले पिता स्व.श्री माधव दामोदर गोखले,
2. श्री सुहास माधव गोखले पिता स्व.श्री माधव दामोदर गोखले,
3. श्रीमती माधुरी चिंचोलीकर (पति श्री सुभाष चिंचोलीकर) पिता स्व.श्री माधव दामोदर गोखले,
4. श्री निलेश चिंचोलीकर पिता श्री सुभाष चिंचोलीकर,

सभी निवासी :– फ्लेट नम्बर 101, 61, लोकमान्य नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452009

विक्रेता / प्रथमपक्ष............

यह अनुबंध लेख आज दिनांक को लिखवा लेन वाले :–

1. श्री अखिल कुलकर्णी पिता श्री उदय कुलकर्णी,
2. श्री उदय कुलकर्णी पिता स्व. श्री शरद कुलकर्णी,

दोनों निवासी : रो हाउस न. E1-2/3, 293, श्रीनगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.)

क्रेता / द्वितीयपक्ष...............

(जिसमें क्रेता एवं विक्रेता स्वयं एवं इनके समस्त वैध हितग्राही आदि सम्मिलित है) एवं उनके समस्त वैध हितग्राही आदि सम्मिलित है)

अविरत.........2

52395 ते 52404
01/11/23

[illegible]

– (प्रती) उपमुख्यमंत्री

– [illegible]

[illegible]

11 NOV 2023

9473 2178 7723

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270524

विक्रेतापक्ष, क्रेतापक्ष के हित में यह कब्जा रहित विक्रय अनुबंध लेख लिख देते हैं कि :–

1 – यह कि, विक्रेतापक्षों के संयुक्त लीज स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड क्रमांक 42 एवं उस पर निर्मित तल मंजिल भवन जो कि नगर निगम इन्दौर के वार्ड क्रमांक 72 (लोकमान्य नगर) तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) में स्थित है। उक्त भवन के भूखण्ड की साइज 40 फीट बाय 65 फीट होकर इसका कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट अर्थात 241.63 वर्गमीटर है, जिसके तल मंजिल पर 953 वर्गफीट अर्थात 88.56 वर्गमीटर का भवन निर्मित है। इस संपूर्ण भवन का विक्रय विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को किया जा रहा है।

2 – यह कि, उक्त भवन का भूखण्ड विक्रेतापक्ष के पिता/दादा श्री माधव गोखले पिता श्री दामोदर गोखले ने पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक 1अ/6633, दिनांक 11.10.1971 के द्वारा लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लिमिटेड, इन्दौर तर्फे वर्तमान (पद) मंत्री (सेकेटरी) श्री प्रभाकर कृष्णराव कुटुम्बले से दिनांक 30.06.2063 तक लीज पर प्राप्त किया गया था। तदपश्चात उस पर स्वयं के व्यय से भवन का निर्माण कराया गया था। श्री माधव गोखले का निधन दिनांक 13.09.2011 को हो गया है। इसी प्रकार इनकी पत्नी श्रीमती शोभना गोखले का निधन दिनांक 24.03.2021 को हो गया है। श्री माधव गोखले जी के द्वारा की गयी वसीयत लेख के अनुसार उनकी मृत्यु एवं उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उक्त संपत्ति उनके वारिसों को अनुपातिक रुप से प्राप्त हुई है, जिसका वर्णन (चरण क्रमांक 6 में) निम्नानुसार है एवं उक्त संपत्ति के विक्रय प्रतिफल कि राशि भी उसी अनुपात के अनुसार विक्रेतापक्षो को अदा कि जा रही है।

अविरत.........3

5A396

11 NOV 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270525

3 – यह कि, आज दिनांक को उक्त संपत्ति समस्त राजस्व विभागों एवं नगर निगम इन्दौर मे विक्रेतापक्षों के नाम से बतौर स्वामिनाते दर्ज है जिसका नामांतरण क्रमांक 441, दिनांक 07.02.2022 एवं संपत्ति आय.डी. क्रमांक 1001252343 है। अतः उक्त संपूर्ण संपत्ति आज दिनांक को विक्रेतापक्षों के नाम से होकर इन्हे यह विक्रय अनुबंध लेख निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार है।

4 – यह कि, विक्रय की जा रही संपत्ति का विस्तृत विवरण एवं चर्तुःसीमा निम्नानुसार है :–

(विक्रय किये जा रहे भवन क्रमांक 42 का विवरण)

5 – यह कि, विक्रेता/प्रथम के लीज स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड क्रमांक 42 एवं मालिकाना अधिकार का तल मंजिल भवन, जो कि नगर निगम इन्दौर के वार्ड क्रमांक 72, लोकमान्य नगर, तहसील व जिला इन्दौर में स्थित है। उक्त भवन के भूखण्ड की साइज 40 फीट बाय 65 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट अर्थात 241.63 वर्गमीटर है जिसके तल मंजिल पर 953 वर्गफीट अर्थात 88.56 वर्गमीटर का भवन निर्मित है। इस संपूर्ण संपत्ति का विक्रय भूखण्ड के लीज राइटस एवं भवन के समस्त मालिकाना अधिकार सहित जिसमें छत के अधिकार भी सम्मिलित है जिसका विक्रय विक्रेतापक्षों द्वारा क्रेतापक्ष को किया जा रहा है। उक्त भवन आवासीय क्षैत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है, जिसके निकास की स्वतंत्र व्यवस्था सामने कि और स्थित सडक से होकर रहेगी। उक्त विक्रय किये जा रहे भवन कि चर्तुःसीमा निम्नानुसार है :–

अविरत.........4

53253

1 NOV 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270526

(विक्रय किये जा रहे भवन क्रमांक 42 की चर्तु:सीमा)

पूर्व में	–	सोसायटी रोड
पश्चिम में	–	प्लाट नम्बर 2 व 3
उत्तर में	–	प्लाट नम्बर 43
दक्षिण में	–	प्लाट नम्बर 41

6 – यह कि, उपरोक्त वर्णन एवं चर्तु:सीमा के बीच के भवन क्रमांक 42 का विक्रय विक्रेतापक्षों द्वारा क्रेतापक्ष को इस भूखण्ड के लीज राइटस एवं भवन के समस्त मालिकाना अधिकार सहित सब आगे से पीछे तक एवं नीचे से उपर तक जमीन से खुले आसमान तक के अधिकार सहित कुल कीमत रूपये 1,80,00,000/– (अक्षरी रूपये एक करोड अस्सी लाख मात्र) में विक्रय करना तय किया होकर 25 प्रतिशत अनुबंध राशि अर्थात रूपये 45,00,000/– (अक्षरी रूपये पैतालिस लाख मात्र) मात्र विक्रेतापक्षो को श्री माधव गोखले द्वारा की गयी वसीयत लेख के अनुसार उनके वारिसों अर्थात विक्रेतापक्षो को अनुपातिक रुप से अदा कि जा रही है, जिसका वर्णन निम्नानुसार है :–

1) राशि रुपये 5,62,500/– (अक्षरी रूपये पांच लाख बासठ हजार मात्र) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मनोरमागंज, इन्दौर से RTGS REF. NO. PUNBR52023112... दिनांक 22/11/2023 के द्वारा विक्रेतापक्ष क्रमांक तीन अर्थात श्रीमती माधुरी चिंचोलीकर ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेमी नगर, इन्दौर के सेविंग खाता क्रमांक 63016514750 में प्राप्त किये है। **अविरत.........5**

57398

महमूद ... वाला
स्टाम्प वेण्डर
11 NOV 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270527

2) राशि रुपये 16,87,500/- (अक्षरी रूपये सोलह लाख सित्यासी हजार पांच सौ मात्र) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मनोरमागंज, इन्दौर से RTGS REF. NO. UTKPUNBR52023112211416……., दिनांक 22/11/2023 के द्वारा विक्रेतापक्ष क्रमांक चार अर्थात श्री निलेश चिंचोलीकर ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेमी नगर, इन्दौर के सेविंग खाता क्रमांक 40553744351 में प्राप्त किये है।

3) राशि रुपये 11,25,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मनोरमागंज, इन्दौर से RTGS REF. NO. UTK PNBR52023112211413356………, दिनांक 22/11/2023 के द्वारा विक्रेतापक्ष क्रमांक एक अर्थात श्री सुनील माधव गोखले ने अपने ICICI BANK, BRANCH AUNDH, GULMOHAR PARK, PLOT 1A, ITI ROAD, AUNDH PUNE के सेविंग खाता क्रमांक 628401054910 में प्राप्त किये है।

4) राशि रुपये 11,25,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मनोरमागंज, इन्दौर से RTGS REF. NO. UTK PUNBR5202311 2211413564……… दिनांक 22/11/2023 के द्वारा विक्रेतापक्ष क्रमांक दो अर्थात श्री सुहास माधव गोखले ने अपने ICICI BANK, BRANCH NOIDA SEC. 18, K1 SENIOR MALL, SEC. 18, NOIDA के सेविंग खाता क्रमांक 003101014053 में प्राप्त किये है।

7 - यह कि, राशि रुपये 95,00,000/- (अक्षरी रूपये पिच्यानवे लाख मात्र) अनुबंध दिनांक से 1 माह की अवधि समय-समय पर अदा करेंगे।

अविरत……..6

11 NOV 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270528

8 – शेष राशि रुपये 40,00,000/– (अक्षरी रुपये चालीस लाख मात्र) क्रेतापक्ष इस संपत्ति पर बैंक से लोन लेकर क्रय करना है, जिस हेतु अनुबंध दिनांक से लगभग तीन माह के समय मे करेंगे। इस हेतु जो भी कागजात तथा औपचारिकताएं होंगी वे सभी आवश्यकता अनुसार विक्रेतापक्ष, क्रेतापक्ष को उपलब्ध करवा कर देंगें तथा लोकमान्य नगर संस्था से एन.ओ.सी. प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी विक्रेतापक्षों की होगी।

9 – यह कि, उक्त विक्रय किये गये संपत्ति के पंजीयन हेतु लगने वाले खर्च का भार क्रेता स्वयं वहन करेंगे। विक्रय पत्र के पंजीयन दिनांक तक विक्रय विलेख/व्यवहार के शासकीय एवं संस्था में पंजनीय/नामदर्ज में लगने वाले समस्त टेक्सेस, नगर निगम के शुल्क, जलकर, संस्था शुल्क, बिजली के बिल, अन्य ड्यूज इत्यादि का भुगतान विक्रेता ही करेगें तथा सदर सम्पत्ति के पंजीयन के समय संपत्ति का नल तथा बिजली चालू हालत में कब्जा देंगें। यदि कोई भी कर शेष रहता है तो क्रेतापक्ष उसे विक्रय प्रतिफल कि राशि में से जमा करेंगे। इसी प्रकार उक्त प्रतिफल पर लगने वाले टी.डी.एस की राशि का चालान भूगतान भी विक्रेतापक्ष द्वारा जमा कर उसकी प्रति क्रेतापक्ष को प्रदान कि जावेगी, तथा केपिटल गेन टेक्स की राशि को भरने का दायित्व भी विक्रेतापक्ष का रहेगा।

10 – यह कि, उक्त संपत्ति के पंजीयन के समय विक्रेता की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी । पंजीयन के पूर्व विक्रेता उक्त संपत्ति के पंजीयन के समय लगने वाले समस्त कागजात क्रेता को उपलब्ध करा कर देगें। पंजीयन की जवाबदारी पूर्ण रुप से क्रेतापक्ष की रहेगी।

अविरत.........7

NOV 20[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270529

11 – यह कि, विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि विक्रेतापक्ष, क्रेतापक्ष से प्राप्त कर उक्त संपत्ति का पंजीयन क्रेतापक्ष या क्रेतापक्ष के हित में करवा देगें।

12 – यह कि, सदर संपत्ति सर्वभार मुक्त है, भविष्य में उपरोक्त संपत्ति के स्वामित्व बाबद किसी भी प्रकार का विवाद या दोष पाया गया अथवा किसी प्रकार का दावा, झगडा व आपत्ति पायी गयी तो उसके संव्यय निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा।

13 – यह कि, उक्त संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, बैंक का किसी भी प्रकार का हित अधिकार, स्वत्व आगम आदि नहीं है। उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विक्रेतापक्ष उक्त सम्पत्ति को विक्रय–पत्र अथवा अन्तरण करने हेतु स्वतंत्र है।

14 – यह कि, यदि क्रेता शेष रही संपूर्ण धनराशि का भुगतान उपरोक्त वर्णित समय में करने के लिए तत्पर रहे एवं विक्रेता द्वारा पंजीयन से इंकार किया गया या किसी प्रकार की आनाकानी की गयी तो क्रेतापक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे न्यायालय के माध्यम से विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (स्पेसिफिक परफॉर्मेन्स एक्ट) के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेंगें। क्रेतापक्ष उस स्थिति में जो भी कागजात विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के साथ साझा किये वे भी वापस करें।

15 – यह कि, विक्रेतापक्ष एतद् द्वारा घोषित एवं निश्चित करते है कि उक्त संपत्ति को विक्रेतापक्षों ने क्रेतापक्ष के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित नही किया है और ना ही ऐसे किसी लेख–विलेख मौखिक वचन पारिवारिक व्यवस्था पत्र आदि का व्यवस्थापन किया है।

अविरत.........8

57401

11 NOV 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270530

16 – यह कि, यदि क्रेतापक्ष शेष उपरोक्त राशि का भुगतान करने से आनाकानी/इनकार करते है तो विक्रेतापक्ष को यह अधिकार होगा कि कुल व्यवहार मुल्य की 2 प्रतिशत राशि रखकर शेष राशि क्रेतापक्ष को तीन माह के अन्दर वापस लौटाना होगी और क्रेतापक्ष द्वारा प्राप्त सभी दस्तावेज वापस विक्रेतापक्ष को लौटाना होंगे।

17 – यह कि, उक्त संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति, संस्था का किसी भी प्रकार का कर्ज जमानत, डिक्री आदि का भार नही है। सदर सम्पत्ति बाबद कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं ना ही कोई पारिवारिक विवाद है।

18 – यह कि, क्रेतापक्ष इस संपत्ति बाबद कोई जाहिर सूचना देना चाहे तो वह स्वयं के व्यय के दे सकेंगें, इसमें विक्रेतापक्षों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

अतः यह विक्रय इकरार पत्र लेख उभयपक्ष के मध्य आपसी रजामंदी से, सोच, समझकर, स्वस्थ्यचित्तावस्थ में, बगैर किसी दबाब के निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है सो प्रमाण स्वरूप वैधानिक रूप से उपयोगी होगा। इति, इन्दौर।

अविरत........9

11 NOV 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270531

//9//

दिनांक : —/—/——

हस्ताक्षर–विक्रेतापक्ष (अनुबंधकर्ता)	हस्ताक्षर–क्रेतापक्ष (अनुबंधगृहिता)
(श्री सुनील माधव गोखले)	(श्री अखिल कुलकर्णी)
(श्री सुहास माधव गोखले)	(श्री उदय कुलकर्णी)
(श्रीमती माधुरी चिंचोलीकर)	
(श्री निलेश चिंचोलीकर)	

गवाह :– 1 हस्ताक्षर :

नाम : Vivek P. Joshi

पता : 321, Lokmanya Nagar, Indore

गवाह :– 2 हस्ताक्षर :

नाम : सुभाष चिंचोलीकर

पता : Flat 101, 61, Lokmanya Nagar
INDORE - 452009

11 NOV 2023

11 NOV 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CF 270532

-11 NOV 2023
57404
01/11/23
-11 NOV 2023
-11 NOV 2023

पंजीयन क्रमांक DR IDR 58 Dated 28-12-1963 दूरभाष 2362632

लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लि. इन्दूर

महल भवन, गेट न.02, लोकमान्य नगर, केशरबाग रोड इन्दौर - 452 009

जा क्र 56/2023-24 दिनांक - 21.12.23

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण सोसायटी के भूखण्ड क्रमांक 42 लोकमान्य नगर, केसरबाग रोड इंदौर, को श्री निलेश चिंचोलीकर (स.क्र.266) श्री सुनिल गोखले, श्री सुहास गोखले एवं श्रीमती माधुरी चिंचोलीकर को आवंटित किया गया है, जो उक्त भूखंड व उस पर निर्मित भवन को श्री अखिल कुलकर्णी तथा श्री उदय कुलकर्णी को विक्रय करना चाहते हैं। भूखंड की पट्टा अवधि दिनांक 30/06/2063 तक है।

विक्रेता व क्रेता द्वारा संस्था में नामांतरण शुल्क जमा कर दिया होकर अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर ली है। अतः कार्यकारिणी की दिनांक 15/12/2023 शुक्रवार को संपन्न बैठक में पारित प्रस्तावानुसार उक्त विक्रय में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

टिप :- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भूखंड क्रमांक 42 श्री अखिल कुलकर्णी व श्री उदय कुलकर्णी को विक्रय करने की स्थिति में ही वैध रहेगा।

अध्यक्ष,
लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित
इन्दौर (म.प्र.)
सोसा. लि. इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सम्पत्ति कर-विभाग

(म.प्र.न.पा.निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के अन्तर्गत)

क्रमांक : 441 दिनांक : 7-2-22

श्री सुनील माधव गोरखले, सुहास माधव गोरखले गोरखले
माधुरी चिंचोलीकर, निलेश चिंचोलीकर

विषय : 142 लोकमान्य नगर इन्दौर सर्विस नं./पिन नं. 1001252343
पर नाम परिवर्तन संबंधी ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका आवक क्रमांक 329 दिनांक 22.11.21 का इस कार्यालय में प्राप्त होने पर से सूचित किया जाता है कि :-

नगर पालिक निगम के कर वसूली लेजर में मकान नंबर 142 मोहल्ला लोकमान्य नगर
प्लेट क्रमांक ---------- मल्टी का नाम ---------- पर
श्रीमती शोभना 1010 स्व. माधव गोरखले के स्थान पर श्री सुनील माधव गोरखले, सुहास माधव गोरखले
माधुरी चिंचोलीकर, निलेश चिंचोलीकर
का नाम अंकित किया गया है ।

भवन का विभाजन/एकीकरण होने के कारण आपका नवीन भवन क्रमांक ---------- होगा ।

1. नामांतरण शुल्क दिनांक 1520188155 बुक नं. 600/रु पावती नं. 22.11.21
   कम्प्युटराईज्ड पावती क्र. ---------- राशि ----------
2. रजुवात शुल्क दिनांक ---------- बुक नं. ---------- पावती नं. ----------
   कम्प्युटराइज्ड पावती क्र. 1520188162 राशि 100/रु दि. 22.11.21

सम्पत्ति कर विवरण :-

सहायक राजस्व अधिकारी
इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर
झोन क्र.15, द्रविड़, नगर, इन्दौर

नोट : 1. यह नामांतरण केवल कर-संग्रहण के उद्देश्य के लिये ही किया गया है ।
2. असत्य जानकारी देकर कराया गया नामांतरण स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
3. अपने भवन के बाहर भवन नंबर का प्रदर्शन अवश्य करें ।

प्रतिलिपि :-

क्रमांक : ----------

1. उपायुक्त (अतिक्रमण एवं ह्वी) की ओर जानकारी एवं संपत्ति के खाते में आवश्यक दुरुस्ती करने के आदेशार्थ हेतु प्रस्तुत ।

सहायक राजस्व अधिकारी
इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर
झोन क्र.15, द्रविड़, नगर, इन्दौर

23

स्मृति प्रिन्टर्स, इन्दौर

नगर पालिक निगम कार्यालय, इन्दौर

क्रमांक ७८५ दिनांक १०-२-१९७२

श्री एम.डी.गोखले

ठिकाना प्लाट नं.८२ लोकमान्य नगर इन्दौर

विषय

आपका अर्ज आमद नं. ६४ दिनांक २१.१.७२ ईसवी का
आने से दाखला दिया जाता है कि,

आपने पेश किये साईट प्लान व डिटेल प्लान मंजूर किये जाते हैं।

संलग्न: स्वीकृत मंजूरा साईट प्लान व डिटेल प्लान.

बिल्डिंग बायलाज कालम नम्बर ७ मुजिब मकान का पूरा काम होने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र हासिल करके बाद में बस्ती की जावे कोई भी मकान या मचान का काम बिजली के तारों से ५ या ५ फुट से कम फासले पर आता हो तो ऐसे काम की इजाजत पहले बिजली घर से हासिल करके काम शुरु किया जावे। इस दाखला पाने से १२ माह के अन्दर काम की शुरुआत न की तो दाखले का रिन्यु करना लाजमी है हुक्म के खिलाफ काम होगा तो गिरा दि[illegible] जावेगा।

आयुक्त
नगर पालि[illegible]

9/2/72

माधवी ६१२

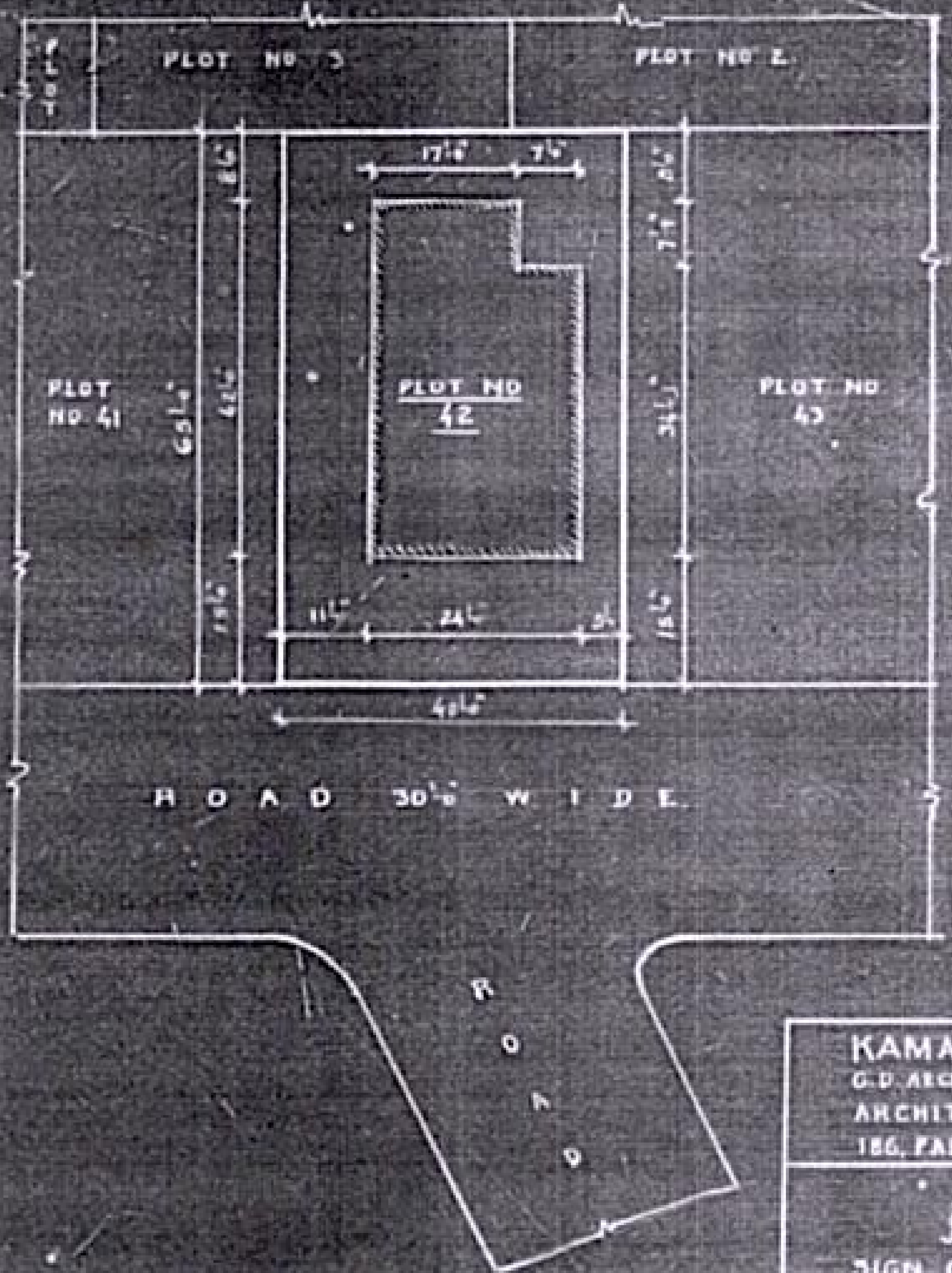

STATEMENT OF AREA

PLOT AREA:- 65'0" X 40'0" = 2600 SFT

PROPOSED BUILT UP:-

34'3" X 24'0" = 822.00 SFT.
17'6" X 7'6" = 131.75 "
953.75 SFT

SITE PLAN FOR THE PROPOSED RESIDENCE OF SHRI M.D. GOKHALE ON PLOT NO 42 LOK-MANYA NAGAR INDORE

KAMALAKAR V. NATU. G.D. ARCH. BOMBAY D.C.E. ARCHITECT AND ENGINEER 186, PALASIKAR COLONY INDORE	JOB NO. MDG/125/71	DRG NO. M2
SIGN OF ARCHITECT (MLR NO 16/71)	DATE	9.11.72
	SCALE	1" = 20'0"
	ISSUED TO	
SIGN OF OWNER	DEALT BY	S. V. SIDHAYE
	CHECKED BY	

:: इन्दौर नगर पालिक निगम कार्यालय :: 3)

जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग

क्रमांक ......४६०८...... ड्रेनेज । इन्दौर, दिनांक २-

श्री ~~एम. डी. ठोरवाले~~

~~म.नं. ४२, लोकमान्य नगर~~

विषय:- म.नं. ४२ मोहल्ला लोकमान्य नगर इन्दौर .
का भूमिगतनाली कनेक्शन स्वीकृत करने बाबद ।

संदर्भ :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक निल .

--

उपरोक्तविषय के संदर्भ मे आपके उपरोक्त मकान के भूमिगत नाली को जोड़ने की स्वीकृति दी जाती हैं । अत: आप संलग्न स्वीकृत नक्शे के मान से कनेक्शन का कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं ।

मौजूदा भूमिगत नाली के मैनहोल मे आपके मकान की भूमिगत नाली के जोड़ने का कार्य कार्यालयके अधिदर्शक के सम्मुख होना अनिवार्य हैं ।

सड़क आदि परखुदाई का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित प्लंबर व मकान मालिक ने भूमि के अन्दर जाने वाली लाईन आदि जैसे टेलीफोन एवं विद्युत केबल, जल वाहिकाएं एवं भूमिगत नाली व खुली गटर आदि जो खुदाई के समय आने वाले हों उनका पूर्णतया अनुमान लगा लेना चाहिए एवं उनकी सुरक्षा के लिए संबंधित विभाग से परस्पर संबंध स्थापित करना चाहिए अन्यथा उससे होने वाले नुकसान आदि के लिए संबंधित प्लंबर व मकान मालिक जवाबदार रहेंगे ।

यदि इस स्वीकृति अनुसार ड्रेनेज कनेक्शन का कार्य ६ माह के अन्दर पूर्ण नही किया गया तो यह स्वीकृती अपने आप निरस्त हो जावेगी तथा किसी भी प्रकार से जमा धनराशि वापस नही लौटाई जावेगी ।

आम सड़क व गली आदि मे डाली गयी भूमिगत नाली आम जनता की मालकीयत हो जावेगी तथा जब कभी भविष्य मे आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसमे अन्य कनेक्शन करने की ईजाजत दी जावेगी ।

संलग्न :- १ नक्शा ।

[signature] 2/9/72

सहायक यंत्री,
जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज,

क्रमांक

32

PLAN SHOWING DRAINAGE CONNECTION TO H No. 42 AT LOK-MANYA NAGAR INDORE B.T.O SHRI M.D. GOKHALE.

NOTE:- PROPOSED SEWER LINE SHOWN IN RED —

SITE - PLAN SCALE :- 1" = 40'-0"

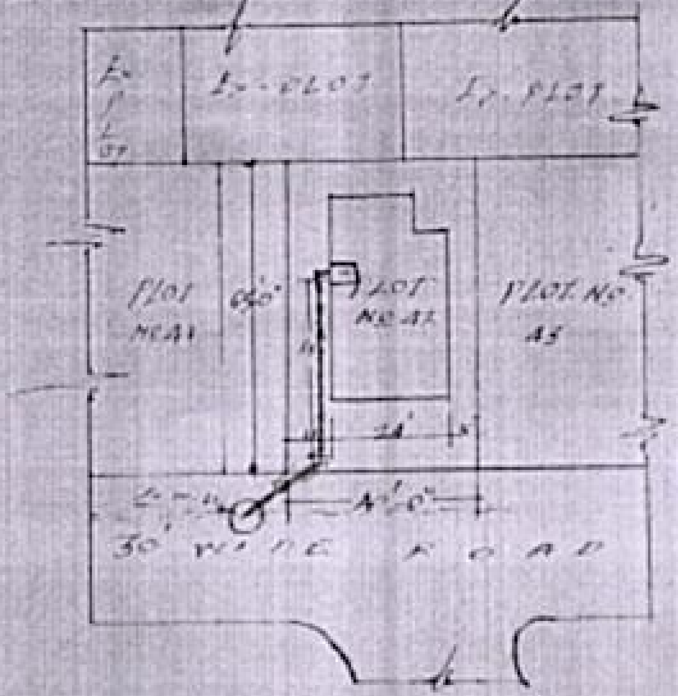

स्वीकृत

25/9/72

सहायक

इन्दौर नगर पालिक निगम

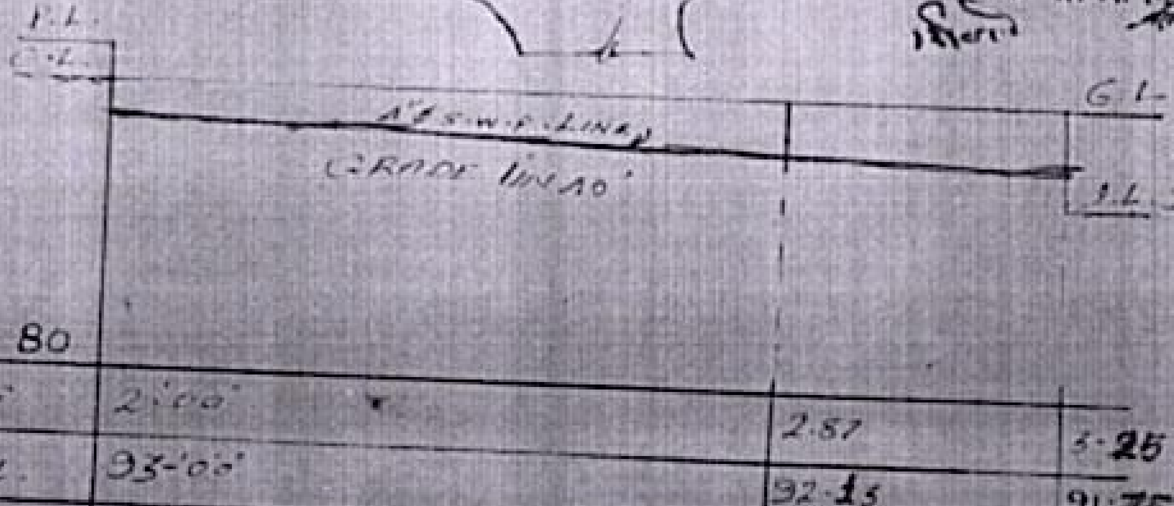

DATUM 80

CUTTING	2'-00"	2.87	3.25
INVERT L.	93-00"	92.13	91.75
GROUND L.	95	95	95
CHAINAGE	0'	35	50

L-SECTION SCALE : HOR. 1" = 10'-0" / VER. 1" = 10'-0"

M D Gokhale
OWNER

जैन प्रि. प्रेस इन्दौर

इन्दौर नगर पालिक निगम कार्यालय

बुक नं. 169 सम्पत्ति कर एवं शुल्क वसूली उपविभाग क्रमांक 45

डिमांड नं. रसीद दिनांक 10-8-02

श्री

हस्ते मोहल्ला स्ट्रीट मं. म. नं. 252

अ. नं.	कर एवं शुल्क	बकाया	हालहाल	छूट	प्राप्त राशि	विवरण
१	सम्पत्ति कर		136-00	8-00	128-00	
२	ई. पी. टैक्स					
३	प्रकाश अधिकर		11-00		11-00	
४	तक्त कर					
५	सम्पत्ति कर ३१ ३-७० तक					
६	व्यापक स्वच्छता उपकर		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
७	जल निकास कर		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
८	अवलम्बन शुल्क					
९	भूमि किराया					
१०	सरचार्ज					
११	मांग पत्र/शास्ति पत्र शुल्क		[illegible]	[illegible]	298-00	
१२	योग		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

चेक नं. .... दिनांक .... से रुपये मिले ....

बैंक का नाम .... चेक का आकार रुपये ....

नगदी .... बाकी रकम ....

माल पदाधिकारी

बिल कलेक्टर या प्रभारी इन्दौर नगर पालिक निगम

सूचना:-(१) इस पावती पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी की सही न होगी तो पावती जायज नहीं मानी जावेगी। (२) चेक द्वारा रकम जमा होने पर यदि चेक की रकम नहीं मिली तो पावती रद्द की जावेगी।

बी. पा. प्रि. प्रेस इ -२-७६ 34

इन्दौर नगर पालिक निगम कार्यालय

फा क्रमांक ६/:

असेसमेंट विभाग

~~नवीन~~ रिअसेसमेंट

सूचना-पत्र

क्रमांक 2xx/328 दिनांक 20/6/83

श्री आत्मन दामोदर गोखले

82 लोकमान्य नगर

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा किये गये आपके भवन/भूमि क्रमांक 82 लोकमान्य नगर

मोहल्ला ———— के मूल्यांकन बाबद आपको सूचना पत्र क्रमांक 398

दिनांक 31/1/82 को दिया गया था उस पर आपकी ओर से

~~(१) किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से उक्त सूचना पत्र में उल्लेखित,~~

✓ (२) आपत्ति प्राप्त होने पर उसकी सुनवाई की जाकर अन्तिम निर्णयानुसार,

(३) आपत्ति प्राप्त होने पर आपको उसकी सुनवाई की सूचना क्रमांक 582 20/2/82

दिनांक ———— को दी जाने पर भी आपके उपस्थित ~~नहीं~~ होने से आपके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार किया जाकर,

वार्षिक मूल्य रुपये 2251/- कायम किया जाकर

वार्षिक संपत्तिकर रुपये 135-00 दिनांक 1-4-82 से आरोपित किया गया है।

नोट:-इस पत्र के मिलने से ३० दिन के अन्दर रकम जमा करने पर ५ प्रतिशत रिबेट मिलने की पात्रता रहेगी।

भवदीय

जोशी

असेसमेंट अधिकारी झोन क्रमांक 2

इन्दौर नगर पालिक निगम,

No 6633 35

म. प्र. सहकारी अधिनियम १९६० (क्र. १७ सन १९६१) की धारा ९ के अन्तर्गत पंजीयन क्र.–डी.आर.आय.डी.आर. ५८, दि. २८-१२-१९६१ (म. प्र. राजपत्र दि. ११-५-१९६२ के पृष्ठ क्र. ९२० पर प्रकाशित सूचना के अनुसार स्टाम्प की माफी है।

लोकमान्य सहकारी गृह-निर्माण सोसायटी लिमिटेड,

३६, खातीपुरा रोड, इन्दौर (लोकमान्य नगर)

जमीन का पट्टा (लीज डीड)

यह भूमि का पट्टा लिख देने वाले लोकमान्य सहकारी गृह-निर्माण सोसायटी लिमिटेड, इन्दौर तर्फे वर्तमान (पद) मंत्री (सेक्रेटरी) श्री प्रभाकर हुमाजी कुलकर्णी
यह पट्टा लिखवाने वाले श्री माधव पिता दामोदर मोघे आयु ४२ वर्ष
पंधा नौकरी निवासी म.नं. मोहल्ला
इन्दौर-नगर, हाल मुकाम ४३ इन्दौर इनको यह पट्टा लिख देते है ऐसा कि :—

(२) हमारी उपरोक्त सोसायटी के आप सदस्य है और इस सोसायटी के मालकी एवं कब्जे की निम्न लिखित वर्णन की भूमिस्वामि-स्वत्व की भूमि, नगर इन्दौर में रेवेन्यू खसरा नं. १४९०, १४९३, १४९५ व १५०१ की केसरबाग रोड से लगी हुई है और जो लोकमान्य नगर नाम से स्थित है।

(३) इस भूमि के विकास की 'लोकमान्य नगर' नाम की स्कीम इन्दौर नगर सुधार न्यास के पत्र क्र. ५७१ दि. १४-२-१९६६ तथा पत्र क्र. २७७२ दि. २८-८-६७ द्वारा स्वीकृत हुई है।

(४) अतः इस लेख द्वारा निम्नांकित शर्तों पर आपको हम उपरोक्त कॉलोनी के प्लॉट नं. ४२ की भूमि का पट्टा लिख देते है :—

शर्तें :

(१) यह कि आपको इस लेख द्वारा दी गई भूमि का वर्णन निम्न प्रकार है :-

(अ) उपरोक्त भूमि पैकी प्लॉट नम्बर | ४२ |

(ब) प्लॉट का विस्तार तथा चतुःसीमा :

पूर्व	४०'	फुट	(लोकमान्य रोड)
पश्चिम	४०'	"	(प्लॉट नं. ४३)
उत्तर	६५'	"	(प्लॉट नं. ४३)
दक्षिण	६५'	"	(प्लॉट नं. ४१)

क्षेत्रफल २६०० वर्गफूट

(२) यह कि उक्त प्लाट की अनुमानित अपसेट कीमत संस्था की साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव क्र० २ दिनांक २३-१-१९६६ के अनुसार (जिसमें भूमि के विकास तथा मूल्य सम्बंधी अनुमानित व्यय अंतर्भूत है) रु. १:१३ पै. (अक्षरी रुपया एक व पैसे तेरह फक्त) प्रति वर्ग फूट के अनुसार रुपये २९३८/- (अक्षरी रुपये [illegible]
फक्त) होकर उक्त आकार हमने आपसे प्राप्त करने के एवं इस लेखानुसार

द्वारा उप-पंजीयक .... इन्दौर
जिला इन्दौर के उप-पंजीयक के
कार्यालय में तारीख   १९५
को ... बजे
प्रस्तुत किया गया।

स्वीकार करने ...
... निष्पादन
किया गया था और ...
हुए/परिचित ...
....
तथा ....
... द्वारा ...
पहचाना गया ...

की गई ... के संबंध में की गई।
दिनांक ... १९५

प्लाट के मूल्यपर प्रति वर्ष २ प्रतिशत के मान से रुपये ५८-८५ (अक्षरी रुपये अट्ठावन व पैसे पचासी फक्त) किराये (लीज) के रूप में आपने देना स्वीकार करने के एवं इस लेख द्वारा नियत शर्तों का पालन करना आपने स्वीकार करने के ऐवज में उपनिर्दिष्ट प्लॉट क्रमांक ८२ की भूमि भवन बनाने के हेतू आपको पट्टे से दी है। संस्था का उपनिर्दिष्ट प्रस्ताव आपको बन्धनकारक है।

(३) यह कि इस पट्टे की अवधि आज दिनांक से दिनांक ३०-६-२०६३ (तीस जून सन् दो हजार त्रेसट) अंत तक रहेगी। यह अवधि समाप्त होने के पश्चात जैसी भी भूमि सम्बंधी कानून की स्थिति हो तथा इस संस्था की जैसी भी योजना आगे के लिये कायम हो उसके अनुसार आयंदा लीज रिन्यू करना अथवा इस पट्टे द्वारा आपको दी हुई भूमि, भूमिस्वामी-स्वत्व से आपको बेच देना इत्यादि बाते उक्त सोसायटी द्वारा उस समय लिये गये निर्णयों पर निर्भर होगा।

(४) यह कि पट्टे की भूमि का अग्रिम वार्षिक किराया (लीज) रु० ५८-८५ (अक्षरी रुपये अट्ठावन व पैसे पचासी फक्त) प्रतिवर्ष दिनांक १ जुलाई से एक माह के अंदर आप अथवा आपके उत्तराधिकारी, सोसायटी के कार्यालय में जमा करते रहेंगे। किराये (लीज) के लिये पट्टे का वर्ष १ जुलाई से प्रारम्भ होकर ३० जून को समाप्त होगा। आज दिनांक से आगामी ३० जून तक का उपरोक्त किराये (लीज) की दर से सानुपातिक किराया (लीज) रु. ४०-०८ (अक्षरी रु. चालीस व पैसे आठ फक्त) आपसे हमने आज दिनांक को अग्रिम प्राप्त कर लिया है।

(५) यह कि किराया शेष रहने पर उपरोक्त सोसायटी आपसे तथा आपके उत्तराधिकारियों से प्रतिमास (७५ पचहत्तर पैसे) प्रतिशत रुपये के अनुसार ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी होगी। वार्षिक किराये [लीज] का एवं ब्याज का भार आपको इस पट्टे द्वारा दिये प्लॉट पर स्थित आपकी स्थावर तथा जंगम जायदाद पर रहेगा।

(६) यह कि पट्टे के अवधि के काल में यदि शासकीय आज्ञानुसार अथवा अन्य किसी कारण से उपरोक्त कॉलोनी की भूमि की लीजी के आकार में वृद्धि हुई तो उस अनुपात से आपको दिये गये प्लॉट के वार्षिक किराये [लीज] में वृद्धि करने का अधिकार सोसायटी को होगा।

(७) यह कि आज दिनांक से आगे आपको दिये गये प्लॉट की भूमि से सम्बंधित नगरपालिक निगम के तथा शासन के नेझूल एवं अन्य सर्व प्रकार के करों के भुगतान का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(८) यह कि आपको दिये गये प्लाट का उपयोग आप केवल निवास योग्य भवन बनाने के लिये कर सकेंगे। यदि निवास के अतिरिक्त अन्य काम के लिये भवन में कोई बनावट करना हो तो सोसायटी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी। तथा इस प्रकार का भवन निर्माण करते समय पब्लिक हेल्थ एन्जि-नियरींग विभाग द्वारा अथवा सिटी इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट द्वारा कॉलोनी की योजना में नियत की हुई शर्तें एवं भविष्य में उक्त विभागों द्वारा अथवा नगरपालिक निगम द्वारा अथवा शासन द्वारा इस सम्बंध में नियत की जाने वाली समस्त शर्तें आप पर तथा आपके उत्तराधिकारियों पर बंधनकारक रहेंगी। तथा आप स्वयं या आपके उत्तराधिकारी उपरोक्त प्रकार की शर्तों का पालन न करने पर होनेवाले परिणाम के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

(५) [illegible]

Skhanolkar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उपरोक्त विवाह [illegible]

............के अंतुरे

का विवाह मेरे समक्ष .....

१९५ को किया गया

११ अक्टूबर १९५[illegible]

उप-पंजीयक

M. N. Gokhale

उपरोक्त विवाह [illegible]

............के अंतुरे

का विवाह मेरे समक्ष .....

१९५ को किया गया

११ अक्टूबर १९५८

उप-पंजीयक

१ [illegible]

२ [illegible]

39

(९) यह कि कोई सदस्य प्लॉट की जमीन को अथवा उस पर बनाये गये भवन को, जो संस्था से ऋण लेकर मोल लिया हो अथवा बनाया हो, किसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तर नहीं कर सकेगा सिवाय उस व्यक्ति के जो कि संस्था का सदस्या हो अथवा जिसे सदस्य बनाना कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया हो या जो घटना नि. ४ के अन्तर्गत सोसायटी का सदस्य बनने योग्य हो।

(१०) यह कि उक्त प्लॉट की भूमि या उस पर बनाये गये भवन को बिक्री, दान, बख्शिस, गिरवी, कंडिशनल सेल, मनोनयन Nomination आदि द्वारा ऐसे व्यक्ति को अंतरित करने का पट्टेदार को स्वत्व न होगा जो कि संस्था का सदस्य न हो या जिसे सदस्य बनाना सोसायटी ने स्वीकार न कर लिया हो या जो संस्था के घटना नियम क्र. ४ के अन्तर्गत सोसायटी का सदस्य बनने योग्य न हो।

(११) यह कि उक्त प्लॉट की भूमि मे इस पट्टे द्वारा प्राप्त अधिकारों का किसी भी प्रकार का अन्तरण, विक्रय, दान, बख्शिस, गिरवी, कंडिशनल सेल आदि करने के पूर्व आपको एवं आपके उत्तराधिकारियों को उपरोक्त सोसायटी की लेखी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसी अनुमति देना या न देना यह सोसायटी पर निर्भर रहेगा। ऐसे अन्तरण के लिये अन्तरण शुल्क लीज के मालियाना आकार के दुगनी रकम रु. ____ (अक्षरी रुपये ____) देना होगी। प्लॉट तथा मकान का मनोनयन Nomination ऐसे ही व्यक्ति के हक में किया जा सकेगा जो सोसायटी के घटना नियम क्र. ४ के अंतर्गत सोसायटी का सदस्य बनने योग्य हो। अंतरण शुल्क मनोनीत Nominated अथवा उत्तराधिकारी Legal heirs से नहीं लिया जावेगा।

(१२) यह कि किसी भी स्थिति में यदि लीज-होल्डर का उत्तराधिकारी संस्था के घटना नियम ४ के अन्तर्गत सोसायटी का सदस्य बनने योग्य नहीं तो उक्त लीज-होल्डर को पट्टे पर दिया गया प्लॉट न. 82 व उसपर बना हुआ भवन (यदि कोई हो) सोसायटी द्वारा अधिग्रहित Acquire किया जाकर उसका नियमानुसार मुआवजा सदर लीज-होल्डर के ऐसे उत्तराधिकारी को दिया जावेगा। बिना अनुमति किया गया अन्तरण अवैध होगा व इस सोसायटी पर बंधनकारक नहीं होगा तथा इस शर्त के उल्लंघन में प्लॉट या भवन पर स्वामित्व या आधिपत्य पाने की चेष्टा करने वाले अंतरण-गृहिता को कोई स्वत्व प्राप्त न होने से वह अतिक्रामक माना जाकर उसे हटाने का अधिकार सोसायटी को होगा।

(१३) यह कि सोसायटी की कॉलोनी में भवन बनाने की अनुमति इन्दौर नगरपालिक निगम अथवा सक्षम अधिकारी Competent Authority से प्राप्त होने के दिनांक से छः माह के अन्दर प्लॉटहोल्डर को नगर निगम अथवा सक्षम अधिकारी Competent Authority के नियमों के अनुसार मकान का नक्शा पेश करना होगा तथा स्वीकृति होने के पश्चात तीन साल के अन्दर मकान बनाना होगा। मकान बनाने के पूर्व प्लॉट के सीमा का परीक्षण संस्था से करवा लेना प्लॉटहोल्डर को बंधनकारक है।

(१४) यह कि प्लाट की भूमि का स्वामित्व सोसायटी का रहेगा और प्लाट-होल्डर को केवल भूमि के उपभोग का अधिकार उपरोक्त शर्तों के अनुसार ही प्राप्त होगा।

(१५) यह कि उपरोक्त शर्तों मेंकी किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन प्लाटहोल्डर द्वारा या उसके उत्तराधिकारी ने या उसके मनोनीत अधिकारी ने किया तो सोसायटी को उसे सदर प्लाक पर से निष्कासित करते हुए सदर स्थान पर अपना निजी आधिपत्य करने का तथा उस प्लाक पर प्रवेश करके कब्जा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(१६) सोसायटी ने अपने सदस्यों को प्लाट लीज पर देने वास्ते जो नियम आदि बनाये है उनके तथा लीज डीड में के अन्य शर्तों के बावजूद भी सदस्य (प्लाट होल्डर लेसी) को प्लाट व उसके ऊपर बनी इमारत गिरवी रखने का अधिकार होगा।

(५) यह पट्टे का लेख सोसायटी द्वारा आपके हित में सोच समझ कर अच्छी हालत में सोसायटी की योजना के अन्तर्गत तथा नियमों के पालन में लिख दिया सो सही। दि. 11-10-07

गवाह (ह.) ____

नाम व पता ____

(ह.) ____
सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लि.

उपरोक्त भूमि का पट्टा उपरोक्त नियम तथा शर्तों के साथ लेना मुझे स्वीकार है।

गवाह ____

नाम व पता ____

(सही प्लॉट होल्डर)

प्रमाण-पत्र

25/05/2016

प्रमाण-पत्र

इस सोसायटी के सदस्य माधव दामोदर गोखले सभासद क्रमांक 266 की मृत्यु दिनांक 13.07.2014 को हो जाने से मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 एवं 1962 की धारा 26(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सोसायटी की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 19.02.2014 के प्रस्ताव क्रमांक .... द्वारा मृतक के नाम का प्लाट क्रमांक 42 लोकमान्यनगर इंदौर उनके वारिस श्रीमती शोभना माधव गोखले के नाम नामांकित किया जाता है, जिनका सदस्यता क्रमांक 266 है

अध्यक्ष,
लोकमान्य सहकारी ... सोसायटी
इन्दौर (म.प्र.)

1 1 ... 2016

No 6633

रेकार्ड ... पृष्ठ ...
इंदौर पंजीयित किया गया।

उप-पंजीयक

Ref. No./LSGNS/2021-22/76 | Date : 15/11/2021

प्रमाण पत्र

इस सोसायटी के सदस्या श्रीमती शोभना माधव गोखले (स.क्र. 266) की मृत्यु दिनांक 24.03.2021 को हो जाने से मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 एवं 1962 की धारा 26(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सोसायटी के प्रबंधकारिणी की बैठक दि. 11.10.2021 के अनुसार मृतक के नाम का प्लॉट क्रमांक 42, लोकमान्य नगर, इन्दौर उनके वारिस श्री सुहास माधव गोखले (पुत्र), श्री सुनील माधव गोखले, (पुत्र), श्रीमती मधुरी चिचोलिकर (पुत्री), श्री नीलेश चिचोलिकर (पौत्र) के संयुक्त नाम से नामांतरित किया जाता है । श्री नीलेश सुभाष चिचोलिकर का सदस्यता क्र. 266 है ।

15/11/2021

अध्यक्ष,
लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण सोसायटी
इन्दौर (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278275

NOTED & REGISTERED
Serial No. 2782/2021
Date 17 NOV 2021

|| श्री ||

पारिवारिक व्यवस्था पत्र
(स्मरण लेख)

हम, पारिवारिक व्यवस्था पत्र परस्पर एक–दूसरे के हित में लिख देने वाले –

सुनील माधव गोखले पिता स्व. माधव दामोदर गोखले
(सुनील माधव गोखले एचयुएफ)
निवासी – सी–404, पद्मविलास, बाणेर पाषाण लिंक रोड,
पाषाण, पूणे (महाराष्ट्र) .. **प्रथमपक्ष**

सुहास माधव गोखले पिता स्व. माधव दामोदर गोखले
निवासी – पी–250, सेक्टर–21, जलवायु विहार, नोएडा जिला
गौतमबुद्ध नगर, (उ.प्र.) .. **द्वितीयपक्ष**

श्रीमती माधुरी चिंचोळीकर पति श्री सुभाष चिंचोळीकर
(पुत्री स्व. माधव दामोदर गोखले)
निवासी – 61, लोकमान्य नगर, केसरबाग रोड, इंदौर (म.प्र.) .. **तृतीयपक्ष**

ATTESTED

निलेश चिंचोळीकर पिता श्री सुभाष चिंचोळीकर
(पौत्र स्व. माधव दामोदर गोखले)
निवासी – 61, लोकमान्य नगर, केसरबाग रोड, इंदौर (म.प्र.) .. **चतुर्थपक्ष**

VIJAY DEWANG
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE

5 271-80

16 NOV 2021

5441201115108

NOTARY
VIJAY DEWANG
(M.P.)
Regd. No. 14494

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278276

1. यह कि, प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष सगे भाई बहन है। प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष **माधव दामोदर गोखले के वैधानिक वारिस व उत्तराधिकारी हैं।** चतुर्थपक्ष तृतीयपक्ष का पुत्र व प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष का सगा भांजा है।

2. यह कि, निष्पादकगण हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं।

3. यह कि, प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष के पिता माधव दामोदर गोखले का स्वर्गवास हो चुका है। प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष की माता श्रीमती शोभना गोखले पति श्री माधव दामोदर गोखले का भी स्वर्गवास हो चुका है।

4. यह कि, चतुर्थपक्ष, अपने नाना श्री माधव दामोदर गोखले के साथ काफी समय रहा है तथा श्री माधव दामोदर गोखले ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चल–अचल संपत्ति के संबंध में मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से यह मंशा प्रकट की थी कि उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनकी चल–अचल संपत्ति में प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष के साथ ही चतुर्थपक्ष को भी हिस्सा प्राप्त होवे।

5. यह कि, श्री माधव दामोदर गोखले द्वारा छोडी गई चल–अचल संपत्ति वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी अर्थात् प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष की माता श्रीमती शोभना गोखले के नाम पर है/थी।

6. यह कि, प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इस कारण तीनों पक्षो ने अपने पिता श्री माधव दामोदर गोखले की

GOVT. OF INDIA

ATTESTED

AY DEWANG
CATE & NOTARY
NMENT OF INDIA

AJAY DEWANG

Regd. No. 14204

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH BN 278277

इच्छा का सम्मान करते हुए एवं पिता की इच्छा के अनुरूप यह पारिवारिक व्यवस्था पत्र निष्पादित कर दिया है ताकि प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष के पश्चात् उनके वारिसों में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद ना होवे।

7. यह कि, श्री माधव दामोदर गोखले द्वारा छोडी गई चल–अचल संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

<u>अचल संपत्ति –</u>

01. भूखंड/भवन कमांक 42 लोकमान्य नगर, केसरबाग रोड, इंदौर, जिसकी तल भूमि का कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट है ।

<u>चल संपत्ति –</u>

01. <u>इक्विटी शेयर्स –</u> श्री माधव दामोदर गोखले द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से विभिन्न कंपनियों के शेयर्स में धनराशि निवेशित की गई थी।

02. <u>बैंक में जमा धनराशि</u> – श्री माधव दामोदर गोखले द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा धनराशि ।

03. श्रीमती शोभना गोखले द्वारा छोड़ा गया स्त्रीधन, जिसमें स्वर्ण आभूषण एवं चांदी के बर्तन ।

GOVT. OF INDIA

ATTESTED

VIJAY DEWANG
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

15273

15 NOV 2021

...पत्र के साथ संलग्न

मोहित भटेजा
स्टाम्प वेन्डर
74-75, ... नगर
... बाग रोड, इन्दौर

...DEWANG...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH BN 278278

<u>अतः यह लेख साक्ष्यांकित करता है कि :-</u>

(1) **अचल संपत्ति** – भूखंड/भवन क्रमांक 42 लोकमान्य नगर, केसरबाग रोड, इंदौर में प्रथमपक्ष का हिस्सा 25 प्रतिशत, द्वितीयपक्ष का हिस्सा 25 प्रतिशत, तृतीयपक्ष का हिस्सा 12.5 प्रतिशत एवं चतुर्थ पक्ष का हिस्सा 37.50 प्रतिशत रहेगा। यह संपत्ति जब भी विक्रय होगी, प्राप्त प्रतिफल राशि का बंटवारा इसी अनुपात में किया जावेगा।

(2) **चल संपत्ति – शेयर्स** – श्री माधव दामोदर गोखले द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से विभिन्न कंपनियों के शेयर्स आपसी सहमती से चतुर्थपक्ष को अंतरित किये गये । भविष्य में अन्य पक्ष का इस पर कोई अधिकार, हित, दावा नहीं रहेगा।

(3) **बैंक में जमा धनराशि** – श्री माधव दामोदर गोखले द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा धनराशि के संबंध में चारों पक्षों के मध्य तय हुआ है कि प्रथमपक्ष को 55.77 प्रतिशत, द्वितीयपक्ष को 35.26 प्रतिशत, तृतीयपक्ष को 2.24 प्रतिशत एवं चतुर्थ पक्ष को 6.73 प्रतिशत रहेगा। बैंकों में जमा धनराशि का बंटवारा इसी अनुपात में किया जावेगा, इस बाबद सभी पक्ष सहमत हैं। इस राशि की प्राप्ति के लिए जो भी कानूनी व्यय होगे, उसको समायोजित करने के उपरांत उक्त राशि का बंटवारा उपर लिखे अनुपात में होगा।

(4) श्रीमती शोभना गोखले द्वारा छोड़ा गया स्त्रीधन, जिसमें स्वर्ण आभूषण एवं चांदी के बर्तन का बंटवारा प्रथमपक्ष लगायत तृतीयपक्ष ने कर लिया है, जिसमें

ATTESTED

GOVT. OF INDIA

...AY DEWANG
...OCATE & NOTARY
...NT OF INDIA

(M.P.)
Regd. No. 14494

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278279

5

चतुर्थपक्ष की भी पूर्ण सहमती है। भविष्य में कोई भी पक्ष उक्त स्वर्ण आभूषण व चांदी के बर्तन के संबंध में कोई उजर आपत्ति नहीं कर सकेगा।

7 यह कि, इस विलेख में जहां-जहां भी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष, तृतीयपक्ष एवं चतुर्थपक्ष के नाम का संबोधन किया गया है उनमें उभयपक्षों के वैधानिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, मुखत्यार, वारीसान, असायनर तथा उभयपक्षों के अंतर्गत हित अधिकार अथवा दावा रखने वाले समस्त व्यक्ति भी सम्मिलित है।

अतः यह विलेख आज दिनांक को शहर इन्दौर में निष्पादकगणों द्वारा बिना किसी धौंस, दबाव या अनुचित प्रलोभन के, स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था

ATTESTED

VIJAY DEWANG
ADVO... & NOTARY
GOVE... OF INDIA

...DEWANG
(M.P.)
Regd. No. 14494

15 NOV 2021

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278280

में, दो साक्षीगणों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो सही प्रमाण रहे।

इन्दौर, दिनांक 17 NOV 2021

हस्ताक्षर – प्रथमपक्ष,

1. हस्ता. ——————

नाम : ——————

पता : ——————

हस्ताक्षर – द्वितीयपक्ष,

2. हस्ता. ——————

नाम : ——————

पता : ——————

हस्ताक्षर – तृतीयपक्ष

Sau Madhuri

हस्ताक्षर – चतुर्थपक्ष

ATTESTED

VIJAY DEWANG
ADVOCATE & NOTARY
GOVT. OF INDIA

DEWANG
(M.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278281

VT. OF IN

NOTARY
VIJAY DEWANG
(M.P.)
Regd. No. 14494
Expiry Date-11/09/2024
GOVT. OF INDIA

ATTESTED

VIJAY DEWANG
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

Sai Madhuri

NOTARY

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278282

NOTARY

GOVT. OF INDIA

Regd. No.

Expiry Date

VT. OF IN

ATTESTED

VIJAY [illegible]ANG

[illegible]OCATE & NOTARY

[illegible] OF INDIA

NOTARY

VIJAY DEWANG

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278283

NOTARY
VIJAY DEWANG
Regd. No. 14494
Expiry Date 11/09/2024
GOVT. OF INDIA

GOVT. OF INDIA

Sunil Kumar Amarhana Sai Madhuri NSkar

ATTESTED

VIJAY DEWANG
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

17 NOV 2021

NOTARY

DEWANG

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 278284

NOTARY GOVT. OF INDIA
VIJAY DEWANG
Regd. No. 14494
Expiry Date 11.08.2024

ATTESTED

VIJAY DEWANG
ADVOCATE & NOTARY
GOVT. OF INDIA

22

सत्यमेव जयते

क्र. 1
No. 1

प्रपत्र 6
FORM-6

उत्तर प्रदेश सरकार
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
DEPARTMENT OF MEDICAL AND HEALTH
नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोएडा, जी. बी. नगर
NAGAR SWASTHYA ADHIKARI KARYALAYA, MUKHYA CHIKITSA ADHIKARI NOIDA, G.B. NAGAR

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE UTTAR PRADESH REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 2002.)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोएडा, जी. बी. नगर तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश भारत के रजिस्टर में उल्लिखित है।
THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR NAGAR SWASTHYA ADHIKARI KARYALAYA, MUKHYA CHIKITSA ADHIKARI NOIDA, G.B. NAGAR OF TAHSIL/BLOCK DADRI OF DISTRICT GAUTAM BUDDHA NAGAR OF STATE/UNION TERRITORY UTTAR PRADESH, INDIA.

मृतक का नाम / NAME OF DECEASED : SHOBHANA GOKHALE

लिंग / SEX: महिला / FEMALE

आधार नंबर / AADHAAR NO.:
XXXXXXXX3590

मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH:
24-03-2021
TWENTY-FOURTH-MARCH-TWO THOUSAND TWENTY ONE

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH:
KAILASH HOSPITAL NOIDA

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:
MADHAV DAMODAR GOKHALE

मृतक की उम्र / AGE OF DECEASED:
84 YEARS

आधार नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:
—

माता का नाम / NAME OF MOTHER:

पिता का नाम / NAME OF FATHER:
SHRIDHAR KHARE

आधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO.:
—

आधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO.:
—

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH:

P-250, JALVAYU VIHAR,
SECTOR 21, NOIDA, DADRI, GAUTAM BUDDHA NAGAR,
UTTAR PRADESH

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED:

P-250, JALVAYU VIHAR,
SECTOR 21, NOIDA, DADRI, GAUTAM BUDDHA NAGAR,
UTTAR PRADESH

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO:
D-2021: 9-56044-001721

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION:
07-04-2021

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):
7.25 AM

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE:
12-07-2021

जारी करने वाला प्राधिकारी / ISSUING AUTHORITY

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
REGISTRAR (BIRTH & DEATH)
NAGAR SWASTHYA ADHIKARI KARYALAYA, MUKHYA CHIKITSA ADHIKARI NOIDA, G.B. NAGAR
नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोएडा, जी. बी. नगर

UPDATED ON :
2021-04-07

"THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE."
THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOUCMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.

" प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें / ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH "

2

दूरभाष : 2362632

जीयने क्रमांक DRI/DR/58 Dated 28-12-63

लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लि. इन्दूर

मंगल भवन, लोकमान्य नगर, केशरबाग रोड, इन्दौर - 452 009

दिनांक 12-03-14

क्रमांक / LSGNS 2013-14/170

श्रीमती शोभना शामराव (माधव) गोखले
42 लोकमान्य नगर इंदौर

विषय : सदस्यता एवं नियुक्ती पत्रानुसार लीजडीड हस्तांतरण करने बाबत

महोदया,

उपरोक्त विषय मे सुचित किया जाता है कि कार्यकारिणी की बैठक दि 19.2.14 के अनुसार आपको सोसायटी का सदस्य बनाया गया है। आपका सदस्यता क्रमांक 206 होगा। सदस्यता पंजी मे हस्ताक्षर के पश्चात ही आपकी सदस्यता संबंधी सभी औपचारिकताए पुर्ण मानी जायगी। अपुर्ण प्रक्रिया की स्थिती मे संस्था के निर्वाचन मे मतदान की पात्रता नही होगी।

साथ ही संस्था नियुक्तीनुसार प्लाट क्र 42 लोकमान्य नगर की लीजडीड नामांतरण करने की अनुशंसा करती है। कृपया मुल दस्तावेज कार्यालय मे प्रस्तुत कर नामांतरण करावे

अध्यक्ष
लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लि.
इन्दौर (म. प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सम्पत्ति कर राजस्व विभाग

(म.प्र.न.पा. निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के अंतर्गत)

क्रमांक 336 दिनांक 24/4/017

प्रति,

श्री श्रीमती शोभना w/o स्व. आशय गोखले
म.नं. 42 लोकमान्य नगर
इन्दौर

इन्दौर सर्विस नं. / पिन 733500491

विषय 42, लोकमान्य नगर

पर नाम परिवर्तन सम्बन्धी ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपका आवक क्रमांक 354 दिनांक 7/4/017 का इस कार्यालय में प्राप्त होने पर सूचित किया जाता है कि :-

नगर पालिक निगम के कर वसूली लेजर में मकान नम्बर 42 मोहल्ला लोकमान्य नगर पर फ्लैट क्रमांक — मल्टी का नाम

श्री आशय दामोदर गोखले के स्थान पर श्रीमती शोभना w/o स्व. आशय गोखले

का नाम अंकित किया गया है ।

भवन विभाजन / एकीकरण होने के कारण आप का नवीन भवन क्रमांक — होगा ।

1. नामांतरण शुल्क — बुक नं. — पावती नं. व दिनांक —
   कम्प्यूटराइज्ड पावती क्र. bpns/0417/103 राशि 300/- दि. 7/4/017
2. रजुयात शुल्क दिनांक बुक नं. पावती क्र. व दिनांक
   कम्प्यूटराइज्ड पावती क्र. RJS/0417/113 राशि 100/- दि. 7/4/017

सम्पत्ति का विवरण - वारिस जाते वसीयत पत्र + सहमतीपत्र + मृत्युप्रमाण पत्र + पेपर जाहिर सूचना के आधार पर नामांतरण किया।

सहायक राजस्व अधिकारी
सहा. राजस्व अधिकारी
झोन क्र. 15 राजस्व विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

नोट :
1. यह नामान्तरण केवल कर-संग्रहण के उद्देश्य के लिये ही किया गया है ।
2. असत्य जानकारी देकर कराया गया नामांतरण स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।
3. अपने भवन के बाहर नंबर का प्रदर्शन अवश्य करें ।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन कं 15 राजस्व विभाग
इन्दौर नगर पालिका निगम

प्रतिलिपी -

क्रमांक

1. उपायुक्त (असेसमेंट एवं सर्वे) की ओर जानकारी एवं सबंधित के खाते में आवश्यक दुरुस्ती करने के आदेशार्थ हेतु प्रस्तुत ।

25

क्रमांक स. /011 133694

(यह क्रमांक केवल कार्यालय प्रयोग हेतु है)

उत्तर प्रदेश शासन

ई–डिस्ट्रिक्ट – जनसुविधा केन्द्र **जनपद : गौतमबुद्ध नगर**

प्रपत्र संख्या - 6

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 एवं उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2003 के नियम 8 के अधीन जारी किया गया)

मृत्यु प्रमाण-पत्र
(Death Certificate)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गयी है जो (स्थानीय क्षेत्र) Noida तहसील गौतम बुद्ध नगर जनपद गौतम बुद्ध नगर राज्य उत्तर प्रदेश के रजिस्टर में अंकित है

सदर्भ संख्या	010/dcert11/dc001960
प्रमाण-पत्र संख्या	100281101671
नाम Name	श्री MADHAV DAMODAR GOKHALE
पिता/पति का नाम Name of Father/Husband	श्री DAMODAR GANESH GOKHALE
लिंग Sex	पुरुष
पता Address	P-250,JALVAYU VIHAR SEC-21 NOIDA
मृत्यु की तिथि Date of Death	13/09/2011
मृत्यु का स्थान Place of Death	KAILASH HOSPITAL NOIDA, Noida, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर
पंजीकरण संख्या Registration No	2198
पंजीकरण तिथि Registration Date	26/09/2011

जारी कर्ता केन्द्र : जन सुविधा केन्द्र

पद : केन्द्र प्रभारी

स्थान : सदर, गौतम बुद्ध नगर

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

Jagdish Prasad Srivastava Digitally Signed by O=U.P. Health, OU=CMO Office, C=IN, CN=Jagdish Prasad Srivastava, L=Noida, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी

डिजिटल हस्ताक्षरित

स्वास्थ्य विभाग

गौतम बुद्ध नगर

दिनांक : 02/10/2011

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है।

सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाण पत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

उपरोक्त लेख की नकल रजू की जो
पेश की गई

अधीक्षक
राजस्व विभाग न.पा.नि. इन्दौर

-: श्री :-

॥महाकाली प्रसन्न॥

मे. माधव दामोदर गोखले स्थायी वास्तव्य ४२ लोकमान्य नगर इन्दूर (म.प्र) ४५२००९ हे इच्छापत्र पूर्ण स्वस्थ असताना आज दि ५।७।२०१० ला लिहून देत आहे माझी स्थावर व जंगम जी काही प्रॉपर्टी आहे (Movable व unmovable) ही मी स्वत अर्जित केलेली आहे त्यावर दुसऱ्या कोणाचा अधिकार नाही. ही सर्व मालमत्ता माझ्या मृत्यू नंतर माझ्या पत्नी सौ शोभना गोखले वय ७३ पूर्ण हिला मिळावी साधारण माझ्या प्रॉपर्टीचे वर्णन.

(१) ४२ लोकमान्याचे घर (६५×४०) च्या प्लॉट वर बांधलेले घर साधारण किंमत (Price) आज तारखेला ७० ते ८० लाख रुपये

(२) बॅंके वेगळ्या कंपन्यांचे शेअर जे डिमेट केलेले आहेत ते त्याची किंमत (Price) ह्या तारखेला १२-१५ लाख रुपये

(३) Senior सिटीझन मध्ये डिपॉझीट साधारण ७ ते ८ ~~रुपये~~ लाख रुपये

(४) इतर डिपॉझीटस साधारण २ ते २-५० लाख रुपये

(५) इतर सोने चांदी साधारण किंमत ह्या तारखेस ३ ते ४ लाख रुपये.

वर गोष्टी मिळून माझी प्रॉपर्टी साधारण ७० ते ७५ लाख रुपये होईल ही सर्व प्रॉपर्टी माझ्या मृत्यू नंतर माझ्या पत्नीस मिळावी इच्छा.
तीने चि निलेश चिंचोळीकर माझ्या मुलीचा मुलगा त्याला पूर्ण ह्याती पोस्तर सांभाळावे.

× स्वतः जागेबाबत चि सुनीलला पूर्ण अधिकार व सुहास जवळ करार करावे ही इच्छा पूर्ण सर्वांनी त्यांच्या मतावर राहील असो

त्याच्या नंतर जे शेअर्स असतील ते चि निलेशला द्यावे हद्दी किंमत रु १२-१५ लाख.
व नंतर प्रापर्टी चे चार भाग करून एक सुहास दुसरा सुनील तीसरा अर्धा माधुरी व दीड (१½) चि निलेश ला द्यावा ही इच्छा आहे परन्तु त्या नंतर सुद्धा तीला मी पूर्ण अधिकार काय करावे त्याचे माझ्या नंतर राहतील मी पुत्रन इच्छा प्रदर्शित केली आहे ×
त्यार तीने आपला जवळच ठेवावे व स्त्रीधन सुद्धा तीच्या ह्यातीत विकू नये असो.
हे सर्व मी कोणाच्या दबावाने लिहीत आहे असो.

खाली माझ्या सहीच्या पुराव्याकरता खालील लोकांची सही घेतली आहे

(१) सुधीर लक्ष्मण गोखले माझा पुतण्या
ब्लॉक ५ ३ वासुदेव नगर इंदूर
Signature, 21/9/10

(२) अजय उर्फ बंडू वैशंपायन
(श्यामकांत वैशंपायन चा लहान मुलगा)
Signature, 15/9/2010
M. D. Gokhale

ह्या दोघांच्या समोर सही केली आहे

आपला
मा-दा-गोखले
M. D. Gokhale
5/4/2090.

१६/५/४/२०१०
5/7/2010

Read in presence of

Suhas Gokhale, 28/11/2011
SUHAS GOKHALE

Sunil Gokhale, 28/11/2011
Sunil Gokhale

Sau Shobhana Gokhale
Sau Madhuri

Signature, 28/11/11
Signature, 28/11/11